निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 21/2024
दायरा दिनांकः–24.06.2024
निर्णय दिनांकः–12.11.24

उनवान

कमला बाई आयु 44 वर्ष पुत्री पुरणलाल पत्नि समरथसिंह प्रजापति निवासी ग्राम कडैयावन तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल निवासी ग्राम बुढाखेडा जिला गुना मध्य प्रदेश

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 12-11-24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री हेमराज कुशवाह – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 ~~अस.टी~~ RLA.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम कड़ैयाहाट तहसील छबड़ा में खाता संख्या 194/163 में भूमि खसरा संख्या 474/3 रकबा 0.8094 है० तथा खसरा संख्या 475/3 रकबा 0.1265 कुल 2 किता कुल रकबा 0.9359 हैक्टेयर में प्रार्थिया का हिस्सा 1/2 दर्ज हैं। तथा खाता संख्या 193/163 में भूमि खसरा नं0 285 रकबा 0. 1391 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 474/2 रकबा 0.6703 तथा खसरा संख्या 475/2 रकबा 0.1265 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9359 है0 अवस्थित हैं जिसमें प्रार्थिया का 1/14 हिस्सा दर्ज हैं। तथा खाता संख्या 221/45 में भूमि खसरा नम्बर 370 रकबा 1. 5555 है० अवस्थित हैं जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 1/14 दर्ज हैं। तथा खाता संख्या 45/48 में भूमि खसरा नम्बर 132/1 रकबा 0.1391 है०, खसरा नम्बर 133/1 रकबा 1.0117 है०, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.0506 है, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.1265 है० तथा खसरा नम्बर 413 रकबा 0.2276 है० कुल खसरा 5 कुल रकबा 1.5555 है० अवस्थित हैं जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/14 दर्ज हैं जो प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में अवस्थित हैं। उपरोक्त वर्णित समस्त भूमियां प्रार्थीया की पैत्रक भूमियों हैं। जो प्रार्थीया को उसके पिता पूरणलाल जी से विरासत में प्राप्त हुई हैं। प्रार्थीया के पिता पूरणलाल की मृत्यु पश्चात् उसके हिस्से की भूमियों में प्रार्थीया का नाम कमलाबाई पुत्री पूरणलाल के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश खेरीबाई पुत्री पूरण व कुछ जमाबंदियों में खेरीबाई पुत्री पूरणलाल दर्ज हो गया हैं

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तथा उपरोक्त भूमियों की जमाबंदियों मे प्रार्थीया के नाम का गलत अंकन हो जाने से प्रार्थीया को को उपरोक्त भूमियों पर बैंक से ऋण प्राप्त नही हो पा रहा है तथा सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य सहायताऐं भी प्राप्त नही हो पा रही हैं। प्रार्थना पत्र की चरण कमांक 1 मे वर्णित भूमियों प्रार्थीया उसके नाम में हुई त्रुटि को ठीक कराकर खेरीबाई पुत्री पूरण के स्थान पर कमलाबाई पुत्री पूरणलाल दर्ज कराना चाहती है जो न्याय हित मे आवश्यक है। प्रार्थीया ने उपरोक्त वर्णित आराजियात की जमाबंदियों के अंकन में हुई उपरोक्त त्रुटि को ठीक कराने हेतु प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील छबड़ा को दिनांक 11/06/24 को निवेदन किया तो उन्होने प्रार्थीया से सम्मानीय न्यायालय में कार्यवाही करने की बात कही, अतः सम्मानीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाहाट सम्वत् 2075–78 संख्या संख्या 194 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाहाट सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 193 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाहाट सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 45 फोटो प्रति आधार कार्ड कमला बाई पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयाहाट तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीया की पैत्रक भूमिया है यह भूमियां पिता पुरणलाल से विरासत में प्राप्त हुई है प्रार्थीया के पिता पुरणलाल की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की भूमियों में प्रार्थीया का नाम कमला बाई पुत्री पुरणलाल के स्थान पर त्रुटिवश खेदीबाई पुत्री पुरणलाल व कुछ जमाबन्दियों में खेदीबाई पुत्री पुरण दर्ज हो गया है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत अंकन हो जाने के कारण प्रार्थीया प्रार्थीया को बैक ऋण व राज्य सरकार से मिलने वाली सहायताएं भी नही मिल पा रही है प्रार्थीया अपना नाम खेदीबाई पुत्री पुरण के स्थान पर कमला बाई पुत्री पुरणलाल दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाहाट सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 194 खाता संख्या 193 के अनुसार खेदी बाई पुत्री पुरणमल दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाहाट सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 221 खाता संख्या 45 में खेदी बाई पुत्री पूरण शामलाती खातेदारी में दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड में कमला बाई दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खेदी बाई पुत्री पूरण दर्ज है तथा आधार कार्ड में सही नाम कमला बाई है वादिया अपना नाम राजस्व रिकार्ड में कमला बाई दर्ज करवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम कडैयाहाट के खाता संख्या 194 किता 2 रकबा 0.9397 है0 हिस्सा 1/2 खाता संख्या 193 किता 3 रकबा 0.9355 है0 हिस्सा 1/14 खाता संख्या 221 किता रकबा 1.5555 है0 हिस्सा 1/14 खाता संख्या 45 किता 5 रकबा 1.5555 है0 हिस्सा 1/14 पर प्रार्थीया खेदी बाई पुत्री पूरणमल दर्ज है लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थीया खेदीबाई के स्थान पर कमला बाई करवाना चाहती है। क्योंकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अलावा प्रार्थीया के सभी दस्तावेजों में कमला बाई है ग्राम वारियान व सहखातेदारों से जमावन्दी पर ज्ञात हुआ कि कमला बाई व खेदीबाई एक ही महिला का नाम है तहसीलदार छवडा रिपोर्ट व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह साबित होता है कि प्रार्थीया का सही नाम कमला बाई पुत्री पूरणमल है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयाहाट तहसील छबडा के खाता संख्या 194,193,221 एवं खाता संख्या 45 में दर्ज प्रार्थीया का नाम खेदीबाई पुत्री पुरण के स्थान पर खेदी बाई उर्फ कमला बाई पुत्री पुरणलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा